बाह्य संस्थानों से आमंत्रित वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के लिए योजना

ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	उद्देश्य	5
2.	कार्यक्षेत्र	5
3.	चयन	6
4.	नियुक्ति की शर्ते	6
5.	भत्ते	6
6.	योजना का निधिकरण	7
7.	यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	7
8.	कार्यकाल	7
9.	करार का अनुमोदन	8
10.	योजना की वैधता	8
11.	फीडबैक (पुनर्निवेशन)	8
12.	करार का प्रारूप	9

बाह्य संस्थानों से आमंत्रित वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के लिए योजना

बाह्य संस्थानों से लघु–अवधि हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा सी.एस.आई.आई. में एक योजना चल रही है जिसमें देश के भीतर व बाहर से सुविख्यात भारतीय वैज्ञानिकों/शिक्षकों/तकनीकीविदों की सेवाओं का उपयोग एक लघु अवधि के लिए/पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर, कुछ सप्ताहों से 12 मास तक की अवधि के लिए किया जाता है। इसी योजना के अनुरूप आई.सी.ए.आर. योजना का एक प्रारूप विचारार्थ, निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है।

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, देश के भीतर और बाहर से उच्चतम योग्यता वाले वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को कुछ सप्ताहों से लेकर 12 मास तक, आवश्यकतानुसार, अपने यहां के ऐसे वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए निमंत्रित करके आई.सी.ए.आर. संस्थानों/एन.आर.सी./पी.डी. से जोड़ना है, ताकि अनुसंधान और कार्यक्रमों का विकास किया जा सके।

2. कार्य-क्षेत्र

(क) सुविख्यात वैज्ञानिक/विशेषज्ञ आमंत्रित योजना, आई.सी.ए.आर. सिस्टम से बाहर भारत या विदेश में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों पर लागू है।

(ख) बाह्य संस्थानों से आने वाले वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को आई.सी.ए.आर. के राष्ट्रीय संस्थानों/एन.आर.सी./पी.डी. में संबंधित संस्थान के साथ उनके चल रहे किसी अनुसंधान व विकास कार्यक्रम/परियोजना या उससे संबंधित परामर्श के काम में सहायता देने के नए क्षेत्रों के विकास से संबद्ध किया जा सकता है।

(ग) यह योजना सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी, आयु सीमा 60 वर्ष तक सीमित रहेगी।

3. **चयन**

संबंधित राष्ट्रीय संस्थान/एन.आर.सी./पी.डी. के निदेशक, अनुसंधान सलाहकार समिति के परामर्श से, उस आर. एण्ड डी. कार्य जिसके लिए वैज्ञानिक/विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता है, का विवरण देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव संबंधित उप महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे जो आंतरिक वित्त प्रभाग से परामर्श करके एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और आई.सी.ए.आर. के महानिदेशक का अनुमोदन मांगेंगे। किसी एक समय में कुल मामलों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और आई.सी.ए.आर. के शासी निकाय को वर्ष में दो बार इस योजना की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता रहेगा।

4. **नियुक्ति की शर्तें**

आमंत्रित किए जाने वाले वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को जारी किया गया नियुक्ति पत्र/अनुबंध पत्र, वैज्ञानिक/विशेषज्ञ तथा आई.सी.ए.आर के संबंधित राष्ट्रीय संस्थान/एन.आर.सी./पी.डी. के बीच एक इकरारनामे के रूप में संक्षेप में निम्नलिखित के अनुसार निर्दिष्ट होना चाहिए :

(1) आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण

(2) प्रति मास नियत भत्ता

(3) अवधि, जिसके लिए नियुक्ति की गई है

(4) आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को प्रकाशनों के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो आई.सी.ए.आर. के वैज्ञानिकों को हैं

(5) आमंत्रित किए जाने वाले वैज्ञानिक/विशेषज्ञ से एक लिखित वचन लेना होगा कि वह आई.सी.ए.आर. की पूर्वानुमति के बिना अथवा ऐसी शर्तें जो आई.सी.ए.आर. लगाए, अनुसंधान एवं विकास के ब्यौरे किसी व्यक्ति या पार्टी को नहीं बताएगा। वैज्ञानिक/विशेषज्ञ द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के निष्कर्ष अनन्य रूप से आई.सी.ए.आर. की सम्पत्ति होंगे। विधिक करार के प्रारूप की एक प्रति परिशिष्ट–1 में दी गई है।

5. **भत्ते**

आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को 13,500 रु. प्रति मास की दर से

समेकित व निश्चित भुगतान किया जाएगा।

नोट : इस भत्ते में उस वैज्ञानिक/विशेषज्ञ की भोजन व आवास लागत शामिल है जिसका सम्बद्ध वैज्ञानिक/विशेषज्ञ द्वारा स्वयं भुगतान किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं संभव हो संबंधित संस्थान द्वारा आई.सी.ए.आर. के वर्तमान नियमों के अनुसार अतिथि–गृह सुविधाएं प्रदान की जाएं।

6. **योजना का निधिकरण**

आमंत्रित वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए कृषि उत्पाद उपकर निधियों से निधि का वहन किया जाएगा। आंरभ में इस योजना के लिए कृषि उत्पाद उपकर निधियों से 50 लाख रु. की राशि निर्धारित की जाएगी।

7. **यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता**

आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, किसी सम्बद्व संस्थान तक अपने काम के संबंध में देश के भीतर की गई किसी भी यात्रा के लिए वास्तविक रूप से प्रयोग किए गए यात्रा साधन के अनुसार यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। आई.सी.ए.आर. के नियमानुसार संभव सीमा तक स्थानीय परिवहन प्रदान किया जाएगा।

8. **कार्यकाल**

आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ की नियुक्ति का कार्यकाल सामान्यत: 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। तथापि इसे योग्यता व काम की प्रकृति को देखकर 12 मास तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे दौरों की कुल अवधि प्रति संस्थान एक से दो वैज्ञानिक/विशेषज्ञ तक होगी (आई.सी.ए.आर. मुख्यालय को छोड़कर)। कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से थोड़ा पहले आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ अपने द्वारा किए गए काम को पूरा करने की एक लिखित रिपोर्ट देंगे।

अपने कार्यकाल के दौरान या उसके बाद आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को परिषद का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और विशेषज्ञ का कार्यकाल पूरा होने के बाद आई.सी.ए.आर. की कोई देयता नहीं होगी।

9. **करार का अनुमोदन**

करार के अनुमोदन के लिए महानिदेशक सक्षम प्राधिकारी होंगे और किसी विवाद/असहमति होने पर मामले के अंतिम निर्णायक महा निदेशक ही होंगे।

10. **योजना की वैधता**

आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को नियुक्त करने की योजना आई.सी.ए. आर. के शासी निकाय द्वारा अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

11. **फीडबैक (पुनर्निवेशन)**

नियुक्त किये गए आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ और करार में अन्य बातों के अलावा विशिष्ट कार्यकलाप, अवधि तथा भुगतान की गई राशि संबंधी सूचना आई.सी.ए.आर. के शासी निकाय को देने के लिए, वित्तीय सलाहकार, आई.सी.ए.आर. को भेजी जाएगी।

करार का प्रारूप

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ योजना के अंतर्गत आई.सी.ए.आर. संस्थान/एन.आर.सी./पी.डी. तथा देश के भीतर या बाहर से आमंत्रित भारतीय वैज्ञानिक/विशेषज्ञ के बीच करार का प्रारूप

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

यह करार .... (नगर) में

.... के निदेशक है जिसे

बाद में पहली पार्टी कहा जाएगा; और

डॉ. .... (नाम) सुपुत्र

श्री .... और

निवासी .... (पता),

जिसे इसके बाद दूसरी पार्टी कहा जाएगा, के बीच किया जाता है।

जबकि प्रथम पार्टी निम्नलिखित कार्यों के लिए दूसरी पार्टी की विशेषज्ञता/सेवाएं प्राप्त करने के लिए सहमत हो गई है।

(i)

(ii)

(iii)

कार्य की प्रकृति, इसकी पृष्ठभूमि, कार्य क्षेत्र, समय सीमा का ब्यौरा अनुबंध–1 पर संलग्न है। इस करार की शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(i) दूसरी पार्टी अर्थात् आमंत्रित वैज्ञानिक की नियुक्ति की प्रकृति .... सप्ताह/माह की निश्चित अवधि के लिए होगी।

(ii) यह कि दूसरी पार्टी 13,500 रु. प्रति मास का निश्चित मासिक भत्ता प्राप्त करेगी। इस भत्ते में दूसरी पार्टी के भोजन आवास की लागत शामिल है जिसका भुगतान संबंधित दूसरी पार्टी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(iii) यह कि दूसरी पार्टी अर्थात् आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, पहली पार्टी अर्थात् संस्थान के साथ काम के संबंध में देश के भीतर की गई किसी यात्रा के लिए वास्तव में प्रयोग किए गए साधन के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्र होगी। पहली पार्टी द्वारा आई.सी.ए.आर. नियमों के अनुसार संभव सीमा तक दूसरी पार्टी को स्थानीय परिवहन प्रदान किया जाएगा।

(iv) काम के दौरान या उसके बाद दूसरी पार्टी को आई.सी.ए.आर. संस्थान का कर्मचारी नहीं माना जाएगा तथा आई.सी.ए.आर. संस्थान की, कार्य पूरा होने के बाद कोई देयता नहीं होगी।

(v) यह कि दूसरी पार्टी अर्थात् आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को प्रकाशन के वही अधिकार होंगे जो आई.सी.ए.आर. के वैज्ञानिकों को प्राप्त हैं।

(vi) यह कि दूसरी पार्टी अर्थात् आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ आई.सी.ए.आर. के कहने या पूर्वानुमति के बिना या ऐसी शर्तें जो यह परिषद लगाए, को छोड़कर अनुसंधान व विकास का ब्यौरा किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को नहीं देगी।

(vii) यह कि दूसरी पार्टी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के परिणाम अनन्य रूप से आई.सी.ए.आर. की सम्पत्ति होगी।

(viii) यह कि दूसरी पार्टी अर्थात् आमंत्रित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से थोड़ा पहले किए गए कार्य को पूरा करने पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ix) किसी असहमति / विवाद की अवस्था में महानिदेशक, आई.सी.ए.आर. का निर्णय अंतिम होगा।

आई. सी. ए. आर. में आमंत्रित वैज्ञानिक / विशेषज्ञ योजना के अंतर्गत .... (नगर) में उक्त लिखित तारीख, मास व कार्य पर गवाह के रूप में निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में यह करार किया गया।

गवाह

1 प्रथम पार्टी

2 दूसरी पार्टी